

धारा 22 : नियम बनाने की शक्ति

- (1) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी जिनका इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाएं या जिनके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जा सकेंगे।
- (3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत नियमों या उनमें से किसी नियम को उस तारीख से, जो उस तारीख से पूर्वतर नहीं है, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है।
- (4) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन दस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति के दायित्वाधीन होगा।